दिनांक 12 फरवरी 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निर्वाचक नामावली तैयार करने से लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक चरणबद्ध तरीके से होंगे कार्य, बीएलओ एवं प्राधिकृत अधिकारियों को मिला संयुक्त प्रशिक्षण

- निर्वाचक नामावली के बारे में जानकारी देने राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में मतदाता सूची तैयार करने को लेकर आज प्राधिकृत अधिकारी एवं बीएलओ को दूसरे दिन संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया! आज विधानसभा क्रमांक 65 भिलाई नगर के बीएलओ और प्राधिकृत अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया! मतदाता सूची तैयार करने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा एवं उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने जानकारी दी! मास्टर ट्रेनर अंजय तिवारी एवं अरविंद तिवारी ने पूरी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए विभिन्न प्रारूप के बारे में बताया!

राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक निर्वाचक नामावली के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ निगम सभागार में 5:30 बजे से बैठक प्रारंभ हुई जोकि 6:30 बजे तक चली! बैठक में अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री केएल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री दिव्या वैष्णव एवं उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने मतदाता सूची तैयार करने तथा प्रारंभिक प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी! उन्होंने बताया कि जिनका नाम विधानसभा निर्वाचन की प्रचलित निर्वाचक नामावली में है किंतु नगर पालिका की निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन में छूट गया तथा जिनका नाम गलत वार्ड में प्रकाशित हो गया हो उनके लिए प्रारूप क, जिनका विवरण निर्वाचक नामावली में त्रुटि पूर्ण हो उसके संशोधन के लिए प्रारूप ख, यदि प्रारंभिक प्रकाशन में किसी मतदाता/स्वयं के निर्वाचक नामावली में नाम होने पर आपत्ति हो तो उसके विलोपन हेतु प्रारूप ग तथा यदि आपका नाम नगरपालिका की प्रारंभिक प्रकाशित निर्वाचक नामावली एवं विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली दोनों में नहीं है तो पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाकर प्रारूप क- 1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 13 मार्च 2021 तक आवेदन करना होगा! इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में वार्ड अनुसार मार्किंग कर निर्वाचक नामावली तैयार करना , वार्ड वार चिन्हित मतदाता सूची को सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदर्शित वार्ड के निर्वाचक नामावली के भाग में शिफ्ट करना , चेक लिस्ट की जांच करना तथा त्रुटियों को

जनसंपर्क अधिकारी